

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

1	योजना का नाम	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति			
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, कक्षा 11 से पी.एच.डी स्तर तथा आई.टी.आई/आई.टी.सी. (Affiliated with NCVT) हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक (post Matric) छात्रवृत्ति योजना के अर्न्तगत नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) हेतु हर वर्ष निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।			
3	लाभान्वित वर्ग	अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी)			
4	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी स्कूलों/संस्थानों में तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (NCVT से सम्बद्ध) में 11वीं से 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी। माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.0 लाख रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों को पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किया हुआ होना चाहिए। 			
5	देय सुविधा	क्रं सं.	मद	दर (छात्रावासी हेतु)	दर (डेस्कालर हेतु)
		1.	प्रवेश फीस एवं ट्यूशन फीस कक्षा 11 व 12	वास्तविक फीस या अधिकतम 7000 रु. प्रति वर्ष (जो भी कम हो)	वास्तविक फीस या अधिकतम 7000 रु. प्रति वर्ष (जो भी कम हो)
		2.	प्रवेश फीस एवं ट्यूशन फीस कक्षा 11 व 12 स्तर के टेकनीकल व व्यावसायिक कोर्स	वास्तविक फीस या अधिकतम 10000 रु. प्रति वर्ष (जो भी कम हो)	वास्तविक फीस या अधिकतम 10000 रु. प्रति वर्ष (जो भी कम हो)
		3.	प्रवेश फीस एवं ट्यूशन फीस स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्स	वास्तविक फीस या अधिकतम 3000 रु. प्रति वर्ष (जो भी कम हो)	वास्तविक फीस या अधिकतम 3000 रु. प्रति वर्ष (जो भी कम हो)
		4.	अनुरक्षण भत्ता कक्षा 11 व 12 स्तर व इसके समकक्ष तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स	380 रूपये प्रतिमाह	230 रूपये प्रतिमाह
		5.	अनुरक्षण भत्ता प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु	570 रूपये प्रतिमाह	300 रूपये प्रतिमाह
		6.	अनुरक्षण भत्ता एम. फिल एवं पी.एच.डी. स्तर	1200 रूपये प्रतिमाह	550 रूपये प्रतिमाह
6	आवेदन का तरीका	ऑनलाईन			
7	आवेदन कहाँ किया जाये	National Scholarship Portal 2.0			

8	आवेदन की औपचारिकताएँ	<ol style="list-style-type: none">1. पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।2. शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपि।3. आय के सम्बन्ध में पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में स्वयं का घोषणा पत्र या नियोजक की ओर से जारी आय प्रमाण –पत्र।4. मूल–निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।5. अल्पसंख्यक समुदाय की वेब पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में स्वयं का अल्पसंख्यक होने की घोषणा प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।6. फीस की मूल रसीद की प्रति।7. बैंक खाता संख्या, प्रबन्धक से सत्यापन के बाद/बैंक पासबुक के मुख्य पृष्ठ की फोटोप्रति।8. आधार कार्ड को बैंक खाता संख्या से लिंक करवाया जाना अनिवार्य है।
9	संपर्क सूत्र	उपनिदेशक द्वितीय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, निदेशालय, जयपुर फोन नम्बर 0141–2711773, ई–मेल आई डी–raj.minocell@gmail.com